भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3233
17 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 का ओमीक्रोन प्रकार

3233. श्रीमती रंजीता कोली:
श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री रितेश पाण्डेय:
श्री संजय सेठ:
श्री मनोज कोटक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री राकेश सिंह:
प्रो. सौगत राय:
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:
श्री एंटो एन्टोनी:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी:
श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्रीमती हेमामालिनी:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री लल्लू सिंह:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्रीमती प्रतिमा मण्डल:
श्री रवनीत सिंह:
सुश्री एस. जोतिमणि:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बालक नाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अब तक कोविड-19 की ओमीक्रोन किस्म के मामलों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट की गई मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओमीक्रोन डेल्टा किस्म से कहीं अधिक घातक और संक्रामक है और पूर्ण टीकाकरण किए गए व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो ओमीक्रोन से निपटने के लिए क्या उपाय और तैयारियां की गई हैं और स्वदेशी रूप से विकसित टीकों की ओमीक्रोन के खिलाफ प्रभावशीलता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का ओमीक्रोन नामक इस नई किस्म से निपटने हेतु भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाने/परीक्षण और निगरानी द्वारा यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का नए टीके विकसित करने और जीनोम सिक्वेंसिंग केंद्रों का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सदस्य देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के आधार पर ओमीक्रोन नामक इस नई किस्म के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को क्या परामर्श दिया गया है; और

(च) क्या आरटी-पीसीआर परीक्षण से ओमीक्रोन का पता लग सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके संबंध में जारी किए गए संशोधित परीक्षण दिशानिर्देश क्या हैं और ओमीक्रोन नामक इस नई किस्म के परीक्षण के लिए उपलब्ध प्रयोगशालाओं/ अस्पतालों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र/स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): देश में (16 दिसंबर, 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार) ओमीक्रोन वैरिएंट के कुल 81 मामले मिले हैं जिनमें मौत का कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है। इनमें महाराष्ट्र (32 मामले), राजस्थान (17 मामले), दिल्ली (8 मामले), कर्नाटक (8 मामले), गुजरात (5 मामले), केरल (5 मामले), तेलंगाना (2 मामले), आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक मामला शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मौजूदा सीमित साक्ष्यों के आधार पर ओमीक्रोन वैरिएंट डेल्टा वैरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है। इसके अतिरिक्त, ओमीक्रोन की नैदानिक गंभीरता पर अभी सीमित डाटा ही उपलब्ध है और इसकी रोग गंभीरता समझने के लिए और अधिक डाटा की आवश्यकता है। इस समय ओमीक्रोन के लिए वैक्सीन की कारगरता या इसकी प्रभावकारिता संबंधी उपलब्ध आंकड़े सीमित हैं और समकक्ष आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोविड-19 के लिए फिलहाल उपलब्ध और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा यथा-वैधीकृत और अनुमोदित आरटी-पीसीआर टेस्ट ओमीक्रोन वैरिएंट का पता लगा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर मौजूदा यात्रा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की और 'अंतरराष्ट्रीय आगमनों हेतु दिशानिर्देशों' को 28 नवंबर, 2021 (30 नवंबर, 2021 को संशोधित) को संशोधित रूप में जारी किया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, इन क्षेत्रों/ देशों में कोविड-19 की महामारीमूलक स्थिति और/ या इन देशों से ओमीक्रोन की रिपोर्टें मिलने के आधार पर क्षेत्रों/ देशों को 'जोखिमपूर्ण' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। इन 'जोखिमपूर्ण' क्षेत्रों/ देशों की सूची परिवर्तनशील प्रकृति की है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

'जोखिमपूर्ण' माने गए देशों से आने वाले सभी यात्रियों को यहां पहुंचने पर आरटी-पीसीआर के माध्यम से अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच भी करानी होगी और इसके बाद अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिए घर में क्वारंटीन रहना होगा। भारत में आगमन के 8वें दिन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की निगरानी में दोबारा आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। 'गैर-जोखिमपूर्ण' देशों से आए दो प्रतिशत यात्रियों की कोविड-19 के लिए

यादृच्छिक जांच की जाएगी। जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाते हैं उनमें सार्स-सीओवी-2 वैरिएंटों (ओमीक्रोन सहित) की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उन्हें इन्साकॉग नेटवर्क की अभिज्ञात प्रयोगशालाओं में होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के अध्यधीन माना जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य हितधारक मंत्रालयों/ विभागों जैसे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि के साथ समन्वय और सहयोग कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय पत्तनों/ वायुपत्त्नों में पत्तन/ वायुपत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों को भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे आ रहे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सख्त स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, जांच तथा उनमें से संदिग्ध/ प्रतिपुष्ट मामलों का रेफरल सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय औपचारिक पत्राचार के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से निम्नलिखित क्रियाकलाप शुरू करने का आग्रह किया गया है:

- समुदाय में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की सख्त मॉनीटरिंग करना।
- पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्कों का पता लगाना तथा 14 दिन के लिए उनका अनुवर्तन करना।
- पॉजिटिव पाए गए सभी नमूनों को जीनोम-सीक्वेंसिंग के लिए इन्साकॉग प्रयोगशालाओं में तुरंत भेजना।
- उन क्षेत्रों की निरंतर मॉनीटरिंग करना जहां पॉजिटिव मामले अधिक संख्या (क्लस्टर) में सामने आए हैं।
- कोविड-19 जांच अवसंरचना को और सुदृढ़ बनाना तथा सभी राज्यों में पर्याप्त जांच प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य अवसंरचना (आईसीयू, ऑक्सीजन लगे बिस्तरों, वेंटिलेटर्स आदि) की तैयारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा बाल-चिकित्सा मामलों सहित ईसीआरपी-II के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन करना।
- सभी पीएसए संयंत्रों को आरंभ करना, पर्याप्त संभार-तंत्र, औषधि आदि सुनिश्चित करना।
- कोविड-19 वैक्सीन की तीव्र कवरेज सुनिश्चित करना।
- कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना।

*****